दूरभाष : 01437–220177
फैक्स नं. 91–01437–220163
भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501
ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute
Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

REGISTERED

F.No. 6(352)SP/2015/ Dated: 07.11.2015

The Advertisement Manager Rajasthan Patrika JLN Marg, Jaipur –Rajasthan	The Controller of Publication, Govt. of India, Department of Publication, Civil Lines, Delhi – 110054 E-mail : itj.dgcis@nic.in Fax No. 033-22486528
JAIPUR EDITION IN HINDI	DELHI EDITION IN HINDI

Subject : PUBLICATION OF **NOTICE INVITING TENDER .**

Dear Sir,

I am directed to request you to please arrange insertion of the enclosed **NOTICE INVITING TENDER** in your esteemed newspaper as per instructions given below.

1. a) Date of Insertation : As early as possible
   b) Edition : As above
   c) Space : Minimum possible
   d) Position : **NOTICE INVITING TENDER**
2. Scheduled date should be adhered-to-strictly.
3. Matter should be typed solid in the smallest type available with you so as to ensure that the space used in irreducible minimum.
4. **One copy of the newspaper should be sent immediately after insertion of the NOTICE INVITING TENDER.** Insertion will be rejected for bad print, errors omissions or other defects.
5. **Bill duly Pre-receipted (stamped) in triplicate in the name of the Director, CSWRI, Avikanagar be sent for arranging payment.** Voucher copy of the newspaper should be enclosed with the bill.
6. Certificate to the effect that the raters charged in the bill are in accordance with the rates approved by DAVP, New Delhi, should be recorded on the bill. A copy of the rates approved by DAVP, New Delhi is enclosed with the bill.

If you cannot insert the matter with in the specified time due to one or other reason, it may be informed to this Institute immediately for our information.

नोटः कृपया हिन्दी/अंग्रेजी रूपान्तरण अपने स्तर पर करने का श्रम करें।

Yours faithfully,

Encl. As above:

Assistant Administrative Officer

Copy to:-
1. Admn-II Section 2. Audit Section 3. Store Section 4. Advertisement file No.6(187)SP/2008
5. Concerned Division / Sections for further necessary action
6. I/c AKMU for upload on Institute website & Public Procurement Portal please
7. Director for information 8. All concerned file 9. All notice boards. 10. Vigilance Officer

Assistant Administrative Officer

दूरभाष : 01437–220177
फैक्स नं. 91–01437–220163
भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501
ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute
Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

F.No. 6(352)SP/2015/ Dated: 07.11.2015

निविदा सूचना

सचिव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की ओर से निदेशक, केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर द्वारा संस्थान में उपलब्ध कर्मचारियों, अधिकारियों, अनुबन्धकर्ताओं व अन्य फर्मो इत्यादि के आयकर, सेवाकर इत्यादि की कटौती करने व टी.डी.एस. रिटर्न पूर्ण कर नेट पर डालने इत्यादि से सम्बन्धित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर करवाने हेतु कन्सलटेन्ट चार्टेड एकाउण्टटेड/एसोशियट कम्पनियों से लिमिटेड टेण्डर/पोस्टल कोटेशन आमंत्रित किये जाते है। निविदा सूचना से संबंधित विस्तृत विवरण, जानकारी, निविदा प्रपत्र, नियम व शर्ते आदि संस्थान की वेबसाईट **www.cswri.res.in** & www.e-procure.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक निविदादाता संस्थान की वेबसाईट/सी.पी.पी. पोर्टल से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करते हुये मय अमानत राशि व वांछित दस्तावेजों के साथ अन्तिम तिथि दिनांक 27.11.2015 को अपराह्न 01.00 बजे तक क्रय एवं भण्डार अनुभाग में उपलब्ध टेण्डर बॉक्स में जमा करा सकते है।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

क्रमांकः 6(352)एसपी / 2015 / दिनांकः 07.11.2015

मै0 ——————————————————————
——————————————————————

विषय : संस्थान में उपलब्ध कर्मचारियों, अधिकारियों, अनुबन्धकर्ताओं व अन्य फर्मो इत्यादि के आयकर, सेवाकर इत्यादि की कटौती करने व टी.डी.एस. रिटर्न पूर्ण कर नेट पर डालने इत्यादि से सम्बन्धित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर करने हेतु लिमिटेड टेण्डर / पोस्टल कोटेशन आमंत्रित करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सक्षम अधिकारी महोदय की ओर से संस्थान में उपलब्ध कर्मचारियों, अधिकारियों, अनुबन्धकर्ताओं व अन्य फर्मो इत्यादि के आयकर, सेवाकर इत्यादि की कटौती करने व टी.डी.एस. रिटर्न पूर्ण कर नेट पर डालने इत्यादि से सम्बन्धित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर करने हेतु कन्सलटेन्ट चार्टेड एकाउण्टटेड / एसोशियट कम्पनियों से न्यूनतमदर पर कोटेशन आमंत्रित किये जाते है–

क्र.सं.	विवरण	अवधि	कुल दर सभी करों एवं खर्चो सहित (अंको व शब्दों में)
1.	TDS Returns of Salary 24Q	Quarterly	
2.	TDS Returns other than Salary 26Q	Quarterly	
3.	Issue of Form 16A (Other than salary)	Quarterly	Rs.____________________
4.	Preparation of Computation Sheet of employees	Annually	
5.	Preparation of form 16 of employees	Annually	रूपये ____________________
6.	Calculation of Accrued interest on loans given to employees (HBA, Vehicle Loan, Personal Loan)	Annually	____________________
7.	Filling of Service Tax Returns	Half Yearly	____________________
8.	All other work related to VAT, Income Tax and Service Tax etc. (deposit and deduction etc.) including settlement of queries, if any from I.T. Department.	Quarterly, Half Yearly, Annually	

कार्य की नियम व शर्ते निम्न प्रकार है–

1. कोटेशन में दर्शायी गई दरें सभी करों एवं खर्चो सहित होनी चाहिए।
2. प्रस्ताव फर्म की निश्चित / उचित दरों के आधार पर ही स्वीकार किया जावेगा।
3. संस्थान में वित्त वर्ष 2015–16 की द्वितीय तिमाही जुलाई, 2015 से सितम्बर, 2015 तक 24Q के अन्तर्गत उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या लगभग 200 है तथा यह कम व ज्यादा हो सकती है।
4. संस्थान में वित्त वर्ष 2015–16 की द्वितीय तिमाही जुलाई, 2015 से सितम्बर, 2015 तक 26Q के अन्तर्गत अनुबन्धकर्ताओं की संख्या 278 है तथा यह सख्या कम या ज्यादा हो सकती है।
5. कन्सलटेन्ट चार्टेड एकाउण्टटेड / एसोशियट कम्पनी को संस्थान से सभी मूल दस्तावेज लेकर प्रत्येक तीन माह का (त्रैमासिक) टी.डी.एस. रिटर्न आर्नलाईन नियमानुसार नेट पर डालना होगा।
6. आहरण एवं संवितरण अधिकारी से सभी मूल दस्तावेज लेकर वित्त वर्ष 2015–16 व असेसमेन्ट वर्ष 2016–17 के सभी कर्मचारियों के फार्म–16 तैयार करना व टी.डी.एस. रिटर्न आर्नलाईन नियमानुसार नेट पर डालना
7. कन्सलटेन्ट चार्टेड एकाउण्टटेड / एसोशियट कम्पनी को वेट से सम्बन्धित कार्य भी करना होगा।
8. कन्सलटेन्ट चार्टेड एकाउण्टटेड / एसोशियट कम्पनी को प्रत्येक तिमाही के बाद 15 तारीख तक सूचना आनलाईन संबंधित विभाग की साईट पर डाली जानी है।
9. कन्सलटेन्ट चार्टेड एकाउण्टटेड / एसोशियट कम्पनी को संस्थान से डेटा / विवरण स्वयं या उनका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होकर एकत्रित करेगा एवं तदानुसार आयकर से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य उनके द्वारा ही किये जावेगें। इसके लिये किसी प्रकार का अतिरिक्त चार्जेज देय नहीं होगा।
10. कन्सलटेन्ट चार्टेड एकाउण्टटेड / एसोशियट कम्पनी को सभी तरह के टी.डी.एस. नियमानुसार काटने से सम्बन्धित नवीनतम आदेशों की प्रति उपलब्ध करवाना
11. उक्त से सम्बन्धित सभी कार्य आहरण एवं संवितरण अधिकारी / उनके प्रतिनिधि के निर्देशानुसार करने होंगें तथा कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार की गलती या देरी के लिये अनुबन्धकर्ता सी.ए. / कम्पनी जिम्मेदार होगी।
12. ~~प्रस्ताव में केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा आवंटित टेक्स रजिस्ट्रेशन नम्बर / पेन नं. एवं उक्त कार्य से सम्बन्धित सामान पर लगने वाले बिक्रिकर एवं अन्य कर जो भी लागू हो का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। संस्थान द्वारा किसी प्रकार का 'सी' व 'डी' फार्म जारी नहीं किया जावेगा।~~

13. कन्सलटेन्ट सी.ए./कम्पनी को इस क्षेंत्र (TDS Income Tax and other Tax assignment) में कम से कम 10 वर्ष का कार्यानुभव होना अनिवार्य है।
14. कम्पनी, पार्टनरशिप कम्पनी होनी चाहिए। पार्टनरशिप डीड अनुभव, ऑडिट बैलेंश सीट आदि की गत तीन वर्षो की सत्यापित फॉटो प्रतिलिपि निविदा के साथ संलग्न होनी चाहिए।
15. कोटेशन में दर्शाई गई दरों की वैधता कोटेशन खोलने की तिथि से 120 दिवस होनी चाहिए।
16. कोटेशन के साथ अमानत राशि ₹5000.00 (पांच हजार रूपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि आई.सी.ए.आर. यूनिट सी.एस.डब्लू.आर. आई. अविकानगर के नाम से एस.बी.बी.जे. मालपुरा की शाखा मे देय हो संलग्न होना चाहिए।
17. कोटेशन में किसी भी प्रकार की कटिंग/ओवरराईटिंग नही होनी चाहिये, यदि कटिंग/ओवरकटिंग होती हैं तो उसे संबंधित द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिये। असत्यापित संशोधित/ओवरराईटिंग अंक/राशि को स्वीकार नही किया जावेगा।
18. कोटेशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक **27.11.2015** है इसके उपरान्त प्राप्त कोटेशन पर कोई विचार नही किया जावेगा।
19. कोटेशन बन्द लिफाफे में होना चाहिये तथा कोटेशन का नाम, फा.क्र.6(352)SP/2015/ एवं अन्तिम तिथि **27.11.2015** अंकित होनी चाहिये।
20. कार्य शीघ्रातिशीध्र अविलम्ब पूरा करना होगा तथा कार्य समय पर पूर्ण न करने पर यदि कोई विवाद होता है तो उसको निपटाने की जिम्मेदारी कन्सलटेन्ट सी.ए./कम्पनी की होगी।
21. सफल कोटेशनदाता को कुल लागत की 10 प्रतिशत राशि जमानत राशि इस संस्थान को जमा कराने के उपरान्त ही आपूर्ति आदेश दिया जावेगा। साथ ही आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त निर्धारित समय में वापस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
22. भुगतान कार्य पूर्ण करने के उपरान्त त्रेमासिक, छःमाही अथवा वार्षिक आधार पर बिल 3 प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर उचित समयावधि 30 दिवस के भीतर–2 किया जावेगा। साथ ही बिल पर नियमानुसार आयकर/सेवाकर काटा जावेगा।
23. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान अथवा उनके द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर को होगा, जो कि दोनों पक्षों द्वारा मान्य होगा।
24. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी कोटेशनों और आपके पक्ष में जारी अनुबन्ध ओदश को किसी भी समय निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
25. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in और www.eprocure.gov.in पर भी उपलब्ध है।
26. अनुबन्धकार्य के बारे में विस्तृत जानकारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी व वित्त एवं लेखा अधिकारी से कार्यालय समय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा दूरभाष नम्बर क्रमशः 01437–220133, 220132 पर प्राप्त की जा सकती है।

नोट : उपरोक्त कार्यो को सम्पादित करवाने के संबंध में यदि संस्थान सी.ए./कम्पनी के प्रतिनिधि के उपस्थित होने की आवश्यकता महसूस करता है तो उन्हें संस्थान में उपस्थित होना होगा जिसके लिये उन्हें कोई अतिरिक्त चार्जेज देय नहीं होगा।

(आर.ए. साहू)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

वितरण :

1. प्रभारी, ए.के.एम. यूनिट को सूचनार्थ एवं संस्थान वेब साईट एवं सी.पी.पी. पोर्टल पर प्रसारण हेतु।
2. आहरण एवं संवितरण अधिकारी 3. वित्त एवं लेखा अधिकारी 4. सतर्कता अधिकारी 5. निदेशक महोदय

मै/हम उपरोक्त सारणी में दर्शायी गई दरों पर संस्थान में उपलब्ध कर्मचारियों, अधिकारियों, अनुबन्धकर्ताओं व अन्य फर्मो इत्यादि के आयकर, सेवाकर इत्यादि की कटौती करने व टी.डी.एस. रिटर्न पूर्ण कर नेट पर डालने इत्यादि से सम्बन्धित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर करने हेतु सहमत है तथा कोटेशन में दर्शायी गई सभी नियम व शर्ते (क्रम संख्या 1 से 24 तक) मुझे/हमें स्वीकार है।

दिनांक ————————

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील
पूरा पता
टेलीफोन/मोबाईल नं.
बैंक खाता विवरण
पेन नं.

नोटः– लिमिटेड टेण्डर/कोटेशन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजो की मूल/प्रतिलिपि संलग्न करें–

1. अमानत राशि रूपये 5000.00 बिन्दू क्रमांक 15 में दर्शाये अनुसार
2. फर्म के Service Tax Registration No. & PAN No. की प्रतिलिपि
3. फर्म के पंजिकरण/ कन्सलटेन्ट सी.ए. पंजीकरण नं./पार्टनरशीप डीड की प्रतिलिपि
4. फर्म के गत तीन वर्ष के सालाना टर्न ओवर/बेलेन्स सीट की प्रतिलिपि